झारखण्ड सरकार

अंबेदकर तकनीकी छात्रवृति

राज्य सरकार द्वारा यह योजना वित्तीय वर्ष 2003–04 में आरंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य, स्वरूप एवं प्रक्रिया तकनीकी छात्रवृति के समान है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है।

उद्देश्य :–इस योजना का उद्देश्य झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति विद्यार्थी जो राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त मेडिकल तथा इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत हैं को उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता देना है।

स्वरूप :– इस योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को 12 माह की छात्रवृति, शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं विश्वविद्यालय को दी जाने वाली अनिवार्य शुल्क दी जाती है, परन्तु कोशन मनी का भुगतान नहीं किया जाता है ।

प्रक्रिया :–इस योजना के लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा समय–समय पर विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला जाता है। विहित प्रपत्रों में प्राप्त इन आवेदन पत्रों के जॉचोपरान्त योग्य पाये जाने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली राशि का बैंकड्राफ्ट संबंधित विद्यार्थियों को उनके नाम से एवार्ड तैयार कर संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्या को बैंकड्राफ्ट आदिवासी कल्याण आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

Published on National Portal of India (http://www.india.gov.in)